



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

"प्रारूप 26"

13AA 998386

(नियम 4 का देखिए)

14- दलीलती निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड विधान सभा के लिये निर्वाचन के लिये, रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र।


शपथ-पत्र

No. 13AA-998386
Date - 21/10/12
मैं, झोसिना रामलाल रानियाल पुत्र भी दलीलती,
आयु- २५ वर्ष, जो ग्राम- डिनियाल पट्टी- झोसिना,
तहसील- झोसिना, जिला- टिहरी गढ़वाल का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ:-

- 1- मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया है/ किए गये हैं-
(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त है, तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं- २५५
पुलिस थाना- २०५ , जिला- २०५ राज्य- २०५

क्रमशः-2-पर



-2-

- iii— सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है— शुल्क
- iv— न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई— शुल्क
- v— तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / किए गये थे— शुल्क
- vi— क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है— शुल्क
- 2— मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम—1951) (1951 का 43) की धारा—8 की उपधारा (1) या उप धारा (2) में निर्दिष्ट या उप धारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है, और वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है।
(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :
- i— मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं— शुल्क
- ii— न्यायालय, जिसने दण्डित किया है— शुल्क
- iii— पुलिस थाना (थाने)— शुल्क जिला (जिलों)— शुल्क राज्य— शुल्क

सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है— शुल्क

तारीख (तारीखें) जिनको आरोप दण्डादेश सुनाया गया था / सुनाए गये थे— शुल्क

द्वया दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गये हैं— शुल्क


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

स्थान— नई टिहरी।
तारीख— 10/01/2012

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथ पत्र के अन्तर्वर्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है, और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान नई टिहरी, दिनांक— 10/01/2012 को सत्यापित किया।

Solemnly affirmed by the aforesaid
Sachetan of the State Election Commission
S/o Shri. (Sachetan)
(Sachetan)

Om Prakash Jaiswal
Advocate / Notary Public
Dist. Hajipur, Bihar
10/1/12